

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.885 सीसी/स्वा.का.पु./2019/1103

दिनांक : 30/8/19

आदेश

राज्य सरकार के चयनित वेतन श्रृंखला आदेश क्रमांक एफ.20(1)वित्त/गुप-2/92 दिनांक 25.1.92 एवं क्रमांक:एफ.20(1)वित्त/गुप-2/92 पार्ट-1 दिनांक 21.12.93 की पालना में निम्नलिखित स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष को उनके प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पूर्व में 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतन श्रृंखला उनके पद के पदोन्नति पद के वेतनमान के अनुरूप स्वीकृत की गई थी।

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में निम्नलिखित अपील में पारित निर्णय के द्वारा याचिकाकर्ता को 9, 18 एवं 27 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर 975-1720, 1200-2050 एवं 1640-2900/5500-9000 दिये जाने के निर्देश प्रदान किये हैं :-

क्र.सं.	याचिकाकर्ता	आपील सं.	आदेश दिनांक	अवमानना सं.
1.	श्री देवीसिंह भाटी	3922/16	29.08.18	56/19

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.18 के विरुद्ध आगे अपील दायर नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर द्वारा पारित निर्णय के द्वारा इन्हे 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय चयनित वेतन श्रृंखला 975-1720, 1200-2050 एवं 1640-2900/5500-9000 स्वीकृत करने के निर्देश विभाग को दिये जाने के फलस्वरूप याचिकाकर्ता को विभिन्न आदेशों के द्वारा पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतन श्रृंखलाओं को एतद् द्वारा अतिक्रमित करते हुए माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर द्वारा पारित निर्णय की पालना में वित्त विभाग की सहमति के अध्याधीन याचिकाकर्ता की नियमित नियुक्ति तिथि से गणना करते हुए 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः 975-1720, 1200-2050 एवं 1640-2900/5500-9000 चयनित वेतन श्रृंखला स्वीकृत की जाती है याचिकाकर्ता को दिनांक 1.1.2006 से नियमानुसार देय एसीपी एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

याचिकाकर्ता को चयनित वेतनमान की स्वीकृति में जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के वरिष्ठतम कार्मिक यह सुनिश्चित करले कि याचिकाकर्ताओं को चयनित वेतनमान स्वीकृति में अवधि की गणना नियमित नियुक्ति दिनांक से चयनित वेतनमान नियमों/प्रावधानों के अनुसार एवं वेतन स्थिरिकरण तथा राशि की गणना भी सही की गई है। यदि कार्मिक उच्च वेतनमान में समायोजित किया गया है तो अवधि की गणना कार्मिक के समायोजित होने की दिनांक से चयनित वेतनमान नियमों के अनुसार की जावे तथा यह भी सुनिश्चित करले कि संबंधित कार्मिक को चयनित वेतनमान का पूर्व में भुगतान भी किया गया है।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के अध्याधीन माननीय अधिकरण आदेश की पालना के परिपेक्ष्य में जारी की जाती है।

(मुकुल शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक: एफ.885 सीसी/स्वा.का.पु./2019/1103

दिनांक : 30/8/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव वित्त (नियम) विभाग राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
5. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
6. सहायक लेखाधिकारी प्रथम, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर एवं समन्वयक।
7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन अजमेर।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी अजमेर को प्रेषित कर निर्देश है कि आपके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी के प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय ड्यू-ड्रान एवं संशोधित एलपीसी की प्रति कार्मिक एवं अधिकारी केस एवं निदेशालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
9. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
10. संबंधित याचिकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
11. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
12. आदेश/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर